



# तमिः खसककह दक वलकडक दकफोम 19



कोविड- 19 अपने साथ एक महामारी तो लेकर आया ही है लेकिन साथ ही औरतो, लडकियों और हाशिए पर रहने वाले लोगो के लिए मौत भी लेकर आया है।

लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगो को सामाजिक दूरी नही बल्कि शारीरिक दूरी बनानी है। यह प्रक्रिया अलग अलग देशो में अलग अलग दिखाई दे रही है। लॉकडाउन का मतलब है घर परिवार में कैद रहो , कही आओ जाओ नहीं। पर इसका अर्थ यह नही कि आप अपना सारा बल घर की औरतों पर लगा दो। लॉक होने को कहा था न कि हुकुम चलाने या अपनी ताकत दिखाने को कही थी। यह भी सच है कि प्रशासन ने लॉकडाउन करते समय क्या औरतों के विषय में सोचा? क्या हम अपनी पितृसत्तामक समाज को यह बता पायें कि औरतें भी बराबर की हकदार हैं। सरकार या प्रशासन को नही मालूम था अपने पितृसत्तामक समाज का चेहरा? क्या नही जानते थे कि औरतें अपने घरों में कैसे जी रही हैं! क्या **NCRB** का डाटा सरकार के पास नही है जहां घरेलू हिंसा के मामले दर्ज है?

सरकार ने लॉकडाउन कर दिया ओर सभी को घरों में बंद कर दिया और ज्यादातर संवाए बंद कर डाली। लेकिन सवाल ये है कि लॉकडाउन किन शर्तों पर किया गया और किन्हें हिंसा के मुंह में डाल दिया। सरकार ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी ओर कहा घरों में कैद हो जाओ। कैद होना का मतलब है कि सुविधाओं से वंचित हो जाना। **किसी भी समाज व वहां की व्यवस्था को समझने के लिए**

क्या सरकार के पास घरों के अंदर के ताने बाने की समझ है? किसी भी समाज व वहां की व्यवस्था को समझने के लिए घर की इकाई की समझ का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में घर कैसा है? घर में संसाधन क्या हैं? क्या हर किसी के पास छत है? क्या औरतों के पास निर्णय लेने का हक है? क्या हमारा समाज औरत को बराबर का दर्जा देता है? क्या हमारी व्यवस्थाओं ने सोचा कि परिवार की परिभाषा हमारे देश में क्या है? क्या हमारे रिश्ते बराबरी के हैं? ऐसे कई सवाल हमारे सामने हैं। भविष्य की राह में इन प्रश्नों का जवाब निकालना बहुत जरूरी है।

ये तो हम ने इच्छा ओर बेमन से मान लिया कि हम सार्वजनिक स्थलो पर नही जायेंगे ओर सरकार ने मनवा भी लिया। हमने देखा भी कि कैसे लोग घरों के अंदर रह कर सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जिन्होंने नही किया उन्होने उस का दंड भी पाया। घरेलू हिंसा अधिनियम कानून 2005 में आया, पर क्या इसी तरह से उस कानून का भी पालन हुआ। इस लॉकडाउन में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब यह रिपोर्टिंग की कि इस दौरान घरेलू हिंसा के मामले ज्यादा आयें तो सभी का थोडा ध्यान औरतो की तरफ भी चला गया।

**इस समय इनको रोकने वाला कोई था नही और इन ताकतों ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। कई और कारणो से ये ताकतें ज्यादा शाक्तिशाली हुईं।**

जिस समाज में औरत को देवी माना जाए और उस से उम्मीद की जाए कि वह मुंह ना खोले। जिस समाज में वह गाय जैसी हो जिस को पीटा जाए पर वह दर्द की शिकायत ना करें। जब इसी समाज ने उसे चुप रहने और शोषित करने वाले को शोषण के मौके दिए तो अजीब क्या है! इस तरह के लॉकडाउन में इन घटनाओं को बढ़ना ही था।

सवाल यह है कि इस लॉकडाउन को करने से पहले क्या सरकार यह सोच पाई कि घरों में जो गैरबराबरी वाले रिश्ते हैं उन रिश्तों की आड में लॉकडाउन का क्या होगा? आम समय में वैसे भी औरतें अपनी मार की परवाह नहीं करती उन को लगता है कि हिंसा उनकी नियति का हिस्सा है इसलिए वह हिंसा झेलती हैं। उन को बचपन से यही तो इस समाज ने सिखाया कि पहले दूसरों के लिए सोचो फिर अपने सवाल उठाओ। आम समय में भी औरतें घर के मामले को कम बाहर ले कर आती हैं। एक थप्पड़, गाली, घमकी, ताने आदि इन सब को मामूली बात मानती हैं। मामले तब दर्ज होते हैं जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। जो केस लॉकडाउन में आए वह केस वो थे जिनमें सांस लेना मुश्किल था। सोचे अगर औरतें हिंसा को छोटा बड़ा करके या घर की इज्जत के आईने में ना देखें तो हर थाने में कितने रजिस्टर रोज के भरे जायें और कानून को सांस लेने का भी समय ना मिले।

इसी लॉकडाउन में घरों में औरतों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। आम दिनों में जो वह अपना दर्द अपनी सहेली या पड़ोसन से बांट लेती थी पर इस समय पर वह कहां जाए और किसको कहें अपना दर्द। अगर घर छोटा है तो कहां से मां को चुपके से फोन करे और अपने हालात बतायें। वैसे भी हमारे देश में कितनी औरतों के पास उनके नाम का फोन है। इस दौरान घरेलू हिंसा के मामले उन औरतों के आयें जिन 29 प्रतिशत औरतों के पास इंटरनेट की सुविधा व पहुंच थी। जिन औरतों के फोन में पैसा था वही बचाव के लिए फोन कर पाईं। ज्यादातर के पास फोन हैं नहीं अगर हैं तो उस फोन को चार्ज करने के लिए पैसा नहीं है।

जब बच्चे भूखे हों तो कोई ओर दर्द नहीं सताता है। खाली पेट रहना भी हिंसा है और इस हिंसा की जिम्मेदारी तो प्रशासन को लेनी ही होगी। आम समय में भी क्या हम जान पाते हैं कि सड़को पर और घरों में औरत के पेट में कितना खाना गया, ये तो फिर भी संकट का समय है। अक्सर हम देखते हैं कि परिवार में पुरुष और बच्चे पहले खाना खाते हैं उसके बाद जो बच जाता है वह औरतों के हिस्से में आता है। क्या हम समझ सकते हैं कि इस संकट के समय जब ज्यादातर के पास खाने को नहीं है और राहत के तौर पर जो मिल रहा है उसमें से औरत की थाली तक कितना खाना पहुंच पा रहा होगा? जब घरों में पैसा कम है तो किसकी जरूरतों को दबा दिया गया है और भविष्य में किसको प्राथमिकता मिलेगी। जब औरत की थाली में खाना ही नहीं है तो अनिमिया और कुपोषण की शिकार तो होगी ही। आम समय वाली स्थिति में 53 प्रतिशत औरतों में अनिमिया पाया जाता है और प्रसव के समय पर 74 प्रतिशत के आस पास, शायद इससे हम अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के समय यह प्रतिशत कितना बढ़ा होगा। इस लॉकडाउन में यही नजर आया कि घर जैसी महत्वपूर्ण इकाई के अंदर रहने वाली औरतें इस लॉकडाउन में नदारद थीं। उनके बारे में कहीं कुछ सोचा ही नहीं गया। जब यह लॉकडाउन हुआ तब प्रशासन ने महिला के मुद्दे को आपात सेवाओं में क्यों नहीं डाला। यह भी तो हो सकता था कि पुलिस विभाग में एक अलग से *?kjs,wfgd k l s cplk\** ; *fuV* बनता और उसमें उन एनजीओ. को शामिल किया जाता जो महिला हिंसा के मुद्दों पर काम करती हैं। जो ऐसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई कर सकती हों। ऐसे कई अन्य उपाय थे जिनसे औरतों को राहत पहुंचाया जा सकता था।

घरेलू हिंसा केवल घर अंदर पैदा होने वाली परिस्थितियों से नहीं उपजती हैं बल्कि बाहरी तत्व इसमें शामिल होते हैं। हम ये देखते हैं कि औरतें घरों के अंदर मजदूरों की तरह काम करती हैं, पर उस काम का उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर की उनकी मजदूरी, जो की 81 प्रतिशत असंगठित हिस्सों में आता है, वह भी इस लॉकडाउन की वजह से उनके हाथ से निकल गया। लेकिन बिना वेतन वाली मजदूरी अभी भी नहीं गई। वेतन या आय ना होने से भी घर के अंदर हिंसा बढ़ी। पहले जब औरत कुछ कमा कर लाती थी तो उसपर काम का दोहरा बोझ तो पड़ता था लेकिन साथ ही थोड़ा बहुत परिवार के फैसलों में हिस्सेदारी करने का मौका भी मिल जाता था। लेकिन जब नौकरी गई तो वह ताकत भी गई और साथ ही उसका आवाजाही पर भी रोक लग गई। अब वो बिना किसी कारण के अपनी इच्छा से घर से बाहर नहीं जा सकती। औरत की गतिशीलता पर अंकुश ज्यादा लगने शुरू हो गए हैं। अगर आय कि भी बात करे तो हम पाते हैं कि औरतों की आय पुरुषों के मुकाबले 34 प्रतिशत कम पाई जाती है (ILO के अनुसार)

कोविड के इस समय पर भी किसको पहले बचाया जा रहा है यह भी एक देखने व समझने का पहलू है। **Front Line Worker** की बात करें तो उसमें भी ज्यादातर औरतें आती हैं जो निचले पायदान पर काम कर रही हैं उन के लिए कि PPE kit मौजूद नहीं है। **Front Line Worker** का वर्गीकरण करे तो हम देख पाएंगे कि उपर वाले पायदान पर ज्यादातर पुरुष डॉक्टर मिलेंगे क्योंकि इस पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों को हर क्षेत्र में मौके ज्यादा मिले। उसके

बाद नर्स, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर आदि आते हैं। डॉक्टर पूरे समय मरीजों के पास नहीं होते हैं वह एक खास समय पर आकर मरीजों की जांच करते हैं, और चले जाते हैं। पर मरीजों के पास लगातार नर्स, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर इन लोगों का काम होता है और इन पदों पर ज्यादातर महिलाएं होती हैं। इन औरतों के लिए अभी तक कहां है PPE kit। ना घर में सुरक्षा दी गई ना ही बाहर। तो हम ये मान लेते हैं कि समाज और सरकार को इनकी जरूरत सिर्फ अपने फायदे तक के लिए ही है। हम सुरक्षित शहर की बात करते हैं पर हमारे Agenda में महिला है ही नहीं।

अगर हम आने वाले समय की बात करें तो शायद हम देख पाएंगे कि कैसे औरतों को अब घर में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस समाज में जैसे ही औरतों की आवाजाही पर रोक टोक है वहां पर अब कोविड के बाद उन पर और चौकसी मौजूद होगी। नौकरियां जाने का खतरा सबसे ज्यादा औरतों को झेलना पड़ेगा क्योंकि घर में अब जो भी बीमार होगा उसकी सेवा के लिए घर की औरतों को ही देखा जायेगा। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 29 प्रतिशत औरतें ही इन्टरनेट का प्रयोग कर पाती हैं बाकि नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि Work from Home जैसी सुविधा पर 71 प्रतिशत औरतों तक नहीं है। औरतों के हाथ में अब पैसा नहीं होगा। इसका एक मतलब यह भी है कि घर में पैसे की किल्लत के चलते औरतों और लड़कियों की जरूरतों पर अब कम खर्च होगा। दहेज से बचने के लिए जबरदस्ती विवाह और बाल विवाह बढ़ेंगे।

कोरोना के इस भय को इतना फैलाया गया है कि हम भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर का ध्यान नहीं जा रहा कि इस दौर में औरतें और बच्चियों की हालत और बिगड़ने वाली है। इस समय इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है कि हम अपने अधिकारों की बात करें। आज के इस दौर में हमारे रिश्ते बराबरी के कैसे बनें इस ओर ध्यान देना होगा। पुरुषों को सोचने की जरूरत है कि लॉकडाउन सब के लिए है। वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग ना करें। यही समय है जब हम अपने बच्चों को हिंसा मुक्त वातावरण कैसे बनाया जा सकता है इसका अभ्यास कर के दिखा सकते हैं। जब पुरुष घर में बच्चों के साथ समय बिता कर, घर का काम कर, अपनी जीवनसाथी के साथ प्यार, हिस्सेदारी की चर्चा फैला कर ना केवल अपने बच्चों को बल्कि समाज में बराबरी का संदेश फैला सकते हैं। अपने बच्चों के हीरो बन सकते हैं।

e/kykyk

t kxkj h vls Lkh eDr l xBu